

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका
संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि
हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,
निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

हाँ
16.11.2020
संलग्न है

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना
और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन
संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्ताव स्वीकृत करने की
संस्तुति की गयी है।

दिनांक- 17.11.2020

स्थान- वाराणसी

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
वन संरक्षक
हस्ताक्षर
वाराणसी वृत्त, वाराणसी
नाम-

सरकारी मोहर

निरीक्षण टिप्पणी

उत्तर रेलवे द्वारा जफराबाद-अकबरपुर रेल ट्रैक दोहरीकरण में जनपद जौनपुर में जफराबाद-अकबरपुर रेलमार्ग किमी०-823.250 से 874.355 तक, प्रभावित संरक्षित वन भूमि 34.3636 हे० जनपद-सुल्तानपुर में किमी० संख्या-874.355 से 884.545 किमी० तक प्रभावित-7.3816 हे० संरक्षित वन भूमि तथा जनपद अम्बेडकर नगर में किमी० संख्या-884.545 से 906.780 तक प्रभावित 15.5496 हे० संरक्षित वन भूमि कुल प्रभावित 57.2948 हे० संरक्षित वन भूमि से सम्बन्धित प्रस्ताव उत्तर रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

उक्त स्थल का निरीक्षण उत्तर रेलवे सीनियर सेक्शन इन्जीनियर के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-16.11.2020 को किया गया। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी